

2025/11/2

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/42-33

दिनांक 05/11/2025

उन्वानी प्रकरण बनाम भूमिधारी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956

मुकदमा संख्या - 319/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त निपयानार्थ लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 14/भूअ./2025 दिनांक 09/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम पटवारी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नं. भूगे खाता संख्या में स्वातेदार के स्थान पर का नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/4234-35

दिनांक 05/11/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

01/10/25
2025/112

रिपोर्ट पटवारी व म.अ.नि.

श्रीमानजी प्राची का नाम शिमारला जागीर की जमाबंदी के भूमि खाता सं. 354 में गोपीराम पुत्र गोकुल अशुद्ध दर्ज है। जबकि सैलमन दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार चरान कार्ड, बैंक पास बुक में प्राची का नाम गोपाल पुत्र गोकुराम दर्ज है। अतः श्रीमानजी ऊक्त दस्तावेज के आधार पर भूमि खाता सं. 354 में प्राची का नाम गोपीराम पुत्र गोकुल के बजाय गोपाल पुत्र गोकुराम शुद्ध किया जाना उचित होगा।

14/9/10/25

21/10/25
महरोली

9/10/25
08/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

उत्तम रिपोर्ट पर हलका व म.अ.नि. महरोली की
उत्तम रिपोर्ट की कार्रवाई की जा रही है

319
17-10-25

तहसीलदार (म.अ.)
श्रीनाथोपुर (सीकर)

आदेश

परबारी हलका शिमारला जागीर व म.अ.नि. महरोली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीनाथोपुर की आग्रह रिपोर्ट के आधार पर ग्राम शिमारला जागीर के खाता सं. 354 में दर्ज गोपीराम पुत्र गोकुल के स्थान पर गोपीराम उक्त गोपाल पुत्र गोकुराम दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीनाथोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी